



उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 1642/2026

सुशील कामथन उर्फ सुशील सहाय कामथानंद अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह मंत्रालय) एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- शैलेश वर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. व्यक्तिगत उपस्थिति संबंधी वादों की सूची का पुनरीक्षण किया जा चुका है। पुनरीक्षित पुकार में भी इस याचिका का समर्थन करने हेतु याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-4 काजल सिंह उपस्थित हैं, जिन्हें सुश्री शिल्पी देवी, उपनिरीक्षक, थाना हुसैनगंज, जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय प्रतिवेदनों दिनांक 23.03.2026 के अनुसार, न तो याचिकाकर्ताओं द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और न ही इस न्यायालय द्वारा जमा किए जाने हेतु निर्देशित ₹20,000/- की धनराशि ही जमा की गई है।

4. अतः यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष असत्य कथन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के मध्य विवाद का सौहार्दपूर्ण निस्तारण करने हेतु ₹20,000/- की धनराशि अदा किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त सद्भावना का भी पालन नहीं किया गया है। यह कृत्य स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

5. इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य : (2010) 2 SCC 114** के वाद में पारित निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन वादकारियों की भर्त्सना की है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु न्याय व्यवस्था का उपयोग करते हैं तथा इस प्रकार न्याय की धारा को दूषित करने का प्रयास करते हैं।

6. सुविधा की दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दलीप सिंह (उपरोक्त)** में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नवत् उद्धृत की जाती हैं:-

“पिछले 40 वर्षों में वादकारियों का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया है। इस वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्लज्जतापूर्वक असत्य एवं अनैतिक उपायों का सहारा लेते हैं। वादकारियों के इस नए वर्ग द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए न्यायालयों ने समय-समय पर नए नियम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विकसित किए हैं और अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि वह वादकारी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है अथवा दूषित हाथों से न्याय के निर्मल स्रोत को स्पर्श करता है, किसी भी प्रकार की अंतरिम अथवा अंतिम राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।”

7. उपरोक्त निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः **पांडुरंग विठ्ठल केवने बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य: 2024 INSC 1051** के वाद में विचार किया गया है।

8. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 9143/2025 आशीष कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में, जहाँ समान परिस्थितियों में एक पक्षकार ने इस न्यायालय में यह दर्शाते हुए उचित रूप से संपर्क किया था कि वह इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होकर मामले का निस्तारण करने का इच्छुक है और अपनी सद्भावना सिद्ध करने के लिए उसे एक निश्चित राशि जमा करनी थी, फिर भी वह न तो उक्त राशि जमा करने में सफल रहा और न ही इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित हुआ; अतः इस न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से उक्त याचिका को 25,000/- रुपये के अनुकरणीय दंड के साथ खारिज कर दिया था, जिसे निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना था।

9. सुविधा के लिए, **आशीष कुमार (उपरोक्त)** के मामले में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनरुद्धृत किया गया है: -

"3. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बयान दिया गया था कि यदि मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाता है, तो पक्षों के बीच विवाद सुलझने की पूरी संभावना है। उपरोक्त पर विचार करते हुए,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 को सूचना जारी की गयी थी और यह भी अपेक्षा की गयी थी कि याचिकाकर्ता संख्या -1 दस दिन की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा करेगा।

4. कार्यालय आख्याओं दिनांक 18.11.2025 और 21.11.2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि (क) 25,000/- रुपये की राशि जमा नहीं की गई है और (ख) प्रतिवादी संख्या 4 को सूचना जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता भी आज उपस्थित नहीं हैं।

5. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय के समक्ष मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने हेतु बयान दिए जाने का एकमात्र कारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अंतरिम आदेश देने के लिए राजी करना था। इस न्यायालय के समक्ष 25,000/-रुपये की राशि जमा न करने और प्रतिवादी संख्या 4 को सूचना जारी करने के लिए कदम न उठाने का याचिकाकर्ताओं का यह आचरण, न्यायालय की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग को दर्शाता है।

6. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं पर 25,000/-रुपये के अनुकरणीय दंड के साथ खारिज की जाती है। उक्त लागत याचिकाकर्ताओं द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के विधिक सहायता कक्ष में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, यह राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

7. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।”

10. पुनः, इस न्यायालय ने दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 8971 /2025 डॉ. नितिन त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में, समान परिस्थितियों में न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामले पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"9. चूँकि याचिकाकर्ता अब उस बात से पूरी तरह पीछे हट गए हैं जो उन्होंने 26.09.2025 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्त की थी, यहाँ तक कि न तो 40,000/-रुपये की दर्शनी हुंडी तैयार की गयी है और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई निर्देश ही दिए गए हैं, अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का सहारा लिया है। उन्होंने शुरुआत में मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का आशय जताया और बाद में उन आशयों के आधार पर अपने पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बावजूद, वे उससे पूरी तरह मुकर गए।"

10. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि यह रिट याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

11. तदनुसार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका 40,000/-रुपये की लागत के साथ खारिज की जाती है। यह लागत राशि याचिकाकर्ताओं द्वारा एक माह के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर उक्त राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।"

11. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए और व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों की सूची को पुनरीक्षित किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति तथा 20,000/-रुपये की राशि जमा न किए जाने के कारण, इस न्यायालय के पास रिट याचिका को खारिज करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः यह रिट याचिका 20,000/-रुपये के अनुकरणीय लागत के साथ **खारिज** की जाती है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ के समक्ष जमा करना होगा। उक्त राशि जमा न करने की स्थिति में, इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. हमारे द्वारा 20,000/- रुपये की लागत लगाने का कारण यह है कि यह वही राशि थी जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपनी सद्भावना सिद्ध करने के लिए जमा करने की इच्छा व्यक्त की थी। चूँकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई सद्भावना नहीं पाई गई है, अतः न्यायालय का यह मत है कि उक्त राशि को अनुकरणीय लागत के रूप में लगाया जाना चाहिए तथा इस राशि से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।"

13. इस आदेश की एक प्रति उचित कार्यवाही हेतु इस न्यायालय के वरिष्ठ निबन्धक को प्रेषित की जाए।

मार्च 31, 2026

केकेवी/

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।